कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंदसौर म.प्र.::

क/सतर्कता/2015/1770 मन्दसौर दिनांक 20/04/2015

ते,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग,
पर्यावास भवन, खण्ड–1,
प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल

विषयः– श्री जगदीश प्रसाद व्यास पेंशन भुगतान बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6990/माअआ/वि.शा./6193/मन्दसौर/14 भोपाल दिनांक 26.03.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री जगदीशचन्द्र व्यास व्दारा की गई शिकायत की जॉच, प्राचार्य, उमावि गांधीसागर जिला मन्दसौर से कराई गई, जॉच अधिकारी एवं प्राचार्य उमावि गांधीसागर के पत्र क्रमांक/गोपनीय/जॉच/2014/197 गांधीसागर दिनांक 24.09.2014 के व्दारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जॉच प्रतिवेदन अनुसार श्री जगदीशचन्द्र व्यास के जी.पी.एफ., एफ.बी.एफ, जी.आई.एस एवं अवकाश नगदीकरण का निपटारा संबंधित लिपिक श्री संदीप श्रीवास्तव व्दारा नही किया जाना पाया गया। प्राचार्य व्दारा बार बार लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के पश्चात भी प्रकरण का निराकरण नही करना, किसी प्राप्त का अंदेशा देता है। प्राचार्य व्दारा दिनांक 11.09.2014 को लिखित मे निर्देश देने के बावजूद प्रकरण का निराकरण नही किया गया है। प्रकरण के निराकरण हेतु प्राचार्य व्दारा 10 दिवस का आश्वासन दिया गया है किन्तु संबंधित लिपिक व्दारा निराकरण के संबंध मे कोई अवधि निर्धारित नही की गई है और न ही प्रकरण के निराकरण के संबंध मे कोई पहल की गई हैं। श्री संदीप श्रीवास्तव व्दारा प्रकरण को लंबित रखने की मंशा सिद्ध होती है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री संदीपकुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड 02 को संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/सतर्कता/2014/474–475 दिनांक 09.10.2014 के व्दारा निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित की जा चुकी है।

प्राचार्य, उमावि भैसोदा के पत्र क्रमांक/पेंशन/2015/181 भैसोदा दिनांक 15.04.15 के व्दारा अवगत कराया गया है कि श्री जगदीशचन्द्र व्यास के समस्त स्वत्वो का भुगतान किया जा चुका है तथा इनका कोई भी प्रकरण शेष नही है। श्री व्यास को निम्नानुसार देयको का भुगतान किया जा चुका हैः–

01. पी.पी.ओ. की राशि रूपये	806741–00
02. एफ.बी.एफ. की राशि	59450–00
03. जी.आई.एस. की राशि	39028–00
04. बीमा सह बचत राशि	27694–00
05. अवकाश नगदीकरण	352726–00

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मन्दसौर म.प्र.